© UNIVERSAL RESEARCH REPORTS | REFEREED | PEER REVIEWED
ISSN : 2348 - 5612 | Volume : 04 , Issue : 07 | October - December 2017

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा, लोकतन्त्र् एवं संविधान की भूमिका

Mrs. Priyanka Purohit, Research Scholar, Mewar University, Chittorgarh, Rajasthan
Dr. Sonia Sharma,Assistant Professor. Department of Political Science, H.H. Maharaja Hanwant Singh Memorial Girls College, Jai Narain Vyas University, Jodhpur, Rajasthan.

ISSN : 2348-5612 © URR
9 770234 856124

संक्षिप्तिका:- प्रस्तुत लेख में, महिला शिक्षा एवं विकास में आज तक हुए परिवर्तन, उपायों का विवरण, और उनकी समस्याओं के बारे में एक आलेख प्रस्तुत किया गया है। पुरानी व पारम्पारिक रीतियों व कुरीतियों के कारण महिलाओं की स्थिति जितनी दयनीय थी, तथा शिक्षा का स्तर भी निम्नतम व महिला विकास दर शुन्य के समान थी माना की महिलाओं को लेकर कुछ परिवर्तन किए गए परन्तु इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। स्वतन्त्रता से पूर्व महिलाओं की स्थिति उनकी शिक्षा के स्तर, स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय इस संबंध में कुछ विशेष उत्प्रेरण, सरकार द्वारा अनेक संस्थाओं की स्थापना, स्वतन्त्रता पश्चात महिलाओं के लिए सविधान द्वारा स्थापित अधिकार व संवैधानिक स्थिति और अनेक अनुच्छेद व आयोगो सहित स्त्री शिक्षा व विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाने पर जोर सहित सभी कारणों का उल्लेख करने की कोशिश की गई है जो महिलाओं की वास्तविक व वर्तमान स्थिति के लिए आवश्यक है। अंत में यह भी स्पष्ट किया गया है की महिलाओं के शिक्षा के स्तर को बढाकर किस प्रकार विकास की चरण चर्म सीमा तक पहुंचाया जा सकेगा जो महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल

साबित हो सकेगी।

मुख्य शब्द:- महिला शिक्षा, भारतीय संविधान व लोकतन्त्र की भागीदारी

भूमिका:- आज के विकसित दौर में जो भी देश अपने निर्माण व विकास की इच्छा रखता है तो जरूरी है कि वह अपनी विकास यात्रा में पुरूषों के साथ -साथ महिलाओं की भागीदारी भी दे। क्योकि किसी भी देश का विकास व उन्नति में पुरूषों के साथ महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है।। इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ही परिवार की धुरी महिला का सशक्तिकरण जरूरी है ।

शिक्षा:- महिलाओं के लिए शिक्षा एक आवश्यक शस्त्र है शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से महिला समाज में अपनी सशक्त, समान व उपयोगी स्थान बना सकती है। समाज व देश की आधी आबादी महिलाओं की है, जो विकास की मुख्य धारा से परे है। जिसका मुख्य कारण अशिक्षा है। महिलाएं विविध कारणों से शिक्षा को प्राप्त नही कर पायी है। आज महिलाओं को शिक्षित होने के अनेक अवसर मिल रहे है जो पहले समय में नही मिलते थे परन्तु आज भी

उनकी शिक्षा में अनेक बांधाए है। फिर भी महिलाओं के लिए शिक्षा अति आवश्यक है। उन्हे शिक्षित बनाने की हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

इस सन्दर्भ में राधाकृष्ण आयोग ने कहा है कि ''स्त्रियों के शिक्षित हुए बिना किसी समाज के लोग शिक्षित नही हो सकते। यदि सामान्य शिक्षा स्त्रियों या पुरूषो में से किसी एक को देने की विवशता हो तो यह अवसर स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिए, क्योकि ऐसा होने पर निश्चित ही वह शिक्षा उनके द्वारा अगली पीढी तक पहुंच जाएगी।' '

महिला सशक्तिकरण में शिक्षा संविधान एवं लोकतन्त्र की भूमिका:-

भारतीय समाज का इतिहास पुरातन है। जब हम समाज की बात करते है तो परिवार और परिवार के अभिन्न अंग स्त्री व पुरूष उसमे शामिल है।

एक सभ्य समाज की कल्पना बिना स्त्री के नही कि जा सकती है नारी का सम्मान करना भी सभ्य समाज में पुरूष का पुरूषार्थ ही माना गया है।

समाज ने कभी भी स्त्री की अवहेलना नही की और जिस काल में भी जो समस्या होती वह स्त्री की समस्या के बजाय समाज की समस्या बन जाती है क्योकि स्त्री की समस्या का निधान करने के लिए समाज को ही आगे आना पडता है। और उसे ही उसकी सुरक्षा व शिक्षा की चिन्ता करनी पडती है। देश की जनसंख्या में महिलाएं लगभग आधा भाग है किन्तु शिक्षा संस्थानों में, विद्यालयों में, लड़कियों की संख्या चिन्ता जनक स्तर तक कम है। महिला शिक्षा के अभाव में सशक्तिकरण के सारे प्रयास व्यर्थ है इसलिए यह सर्वोपरि आवश्यक है कि महिला शिक्षा का स्तर बढाना एवं उसकी पहुंच व्यापक बनाने के लिए राज्य और समाज दोनो के ही द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहियें ।

परिचय:- महिला सशक्तिकरण में शिक्षा संविधान लोकतन्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार एवं संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्था में आज महिला अधिकारो को जो स्थान प्रदान किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में यहा कहा जाना उचित प्रतीत होता है कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा संविधान एवं लोकतन्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

महिला विकास:- आजादी के बाद से लगभग 7 दशक बीतने के साथ ही आज चौथी पीढ़ी उस मां की गोद में है तो आज भी सयमं दिशा भ्रमित है। स्वतन्त्रता आन्दोलन में महिलाओं की भागीदारी बढाने के लिए जो ठोस प्रयास किये गये उसी का परिणाम है कि महिलाओं ने स्वयं आगे बढकर उन सुधार आन्दोलनों में हिस्सा लिया जिसके कारण स्वतन्त्रता आन्दोलन को भी बल मिला और देश को आजादी मिली। परन्तु हम आज तक नारी विकास की सही परिभाषा भी नही

दे पाये। इसी कारण अरबो रूपये खर्च करने व नये –नये नारे देकर भी उनकी गुंज न स्वयं नारी के कानो में पडती है और न ही परिवार, समाज और सरकार के।

स्त्री के अधिकार के लिए दर्जनों कानून बना लेने के बावजुद भी अधिकार सम्पन्नता सुखी नारी समाज में नही दिखती और पारिवारीक जीवन में महिलाओं को हम काम के योग्य नही बना पाये आज भी यह प्रश्न स्वभाविक रूप से उठता है कि महिला अधिकार व रक्षा के लिए बने कानून दन्तहीन क्यो हो जाते है? स्वतन्त्र भारत में महिलाएं स्वतन्त्र है क्या? आज नारी, बेटी, पत्नी, मां बहन और दादीमां में संरक्षित है, जिसकी पूर्व सुरक्षा, शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी गई परन्तु यह विडम्बना है कि सरकार ने लोकतान्त्रिक व्यवस्था में भी लोक कल्याण के नाम पर सारी शक्ति अपने हाथ में ली। परिणाम स्वरूप् निकसता बढने के साथ ही परिवार और समाज ने भी स्त्री की सुरक्षा के अपने अपरिभाषित , अघोषित व अलिखित पुरातन, व्यवहार और सरोकार से हाथ खींच लिये क्योकि भारतीय समाज में पारिवारिक व सामाजिक अधिकार अलिखित है।

समाज में विभिन्न वर्गों की भांति महिलाओं के संगठन भी बनने लगे जिस कारण महिला अधिकारों के लिए राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर महिला संगठनों की ही क्षीण आवाज सड़को से संसद तक गुंजने लगी परन्तु महिला शक्ति के उत्कर्ष का कार्य अपेक्षा अनुसार गति नही पकड पाया और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वालम्बन आज भी महिला जगत की बुनियादी समस्याएं बनी हुई है।

शिक्षा (महिला शिक्षा) शिक्षा संवर्धन को महिला सशक्तिकरण का प्रथम चरण कह सकते है। क्योकि शिक्षा के अभाव में सशक्तिकरण के सारे प्रयास व्यर्थ होगे।

शिक्षा के अभाव में महिलाएं कुपमंडप जैसा जीवन जीने को अभिशप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप निरक्षर व्यक्ति मात्र श्रमिक का जीवन जीने को बाध्य होता है। जबकि शिक्षा उसे धन, यश, सम्मान अर्जित करने का अवसर देती है। आज के युग को ज्ञान का युग कहा जाता है प्राचीन रूढिवादी मान्यताओं एवं कुरीतियों को दूर करने में भी शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण का कार्य करती है। परन्तु यह अत्यन क्षोभ का विषय है कि हमारे देश में महिला शिक्षा का स्तर बढाने के प्रयास जैसे होने चाहिए थे वैसे नही किये गये उसी का परिणाम है कि आज भी देश की जनसंख्या में महिलाओं का लगभग आधा देने के बावजुद लडकियों की शिक्षा का अनुपात लड़को की अपेक्षा काफी कम है। महिलाएं शिक्षा के अभाव में सारे सशक्तिकरण के प्रयास व्यर्थ होने वाले है अतः आवश्यकता है कि महिला शिक्षा का स्तर बढाने एवं पहुंच व्यापक बनाने के लिए राज्य एवं समाज दोनो के ही द्वारा विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। तब जाकर ही महिला शिक्षा में परिवर्तन होकर सशक्तिकरण होगा।

लोकतन्त्र और महिला सशक्तिकरण

केन्द्र व राज्य सरकारों ने महिला सशक्तिकरण के मध्य नजर महिला बाल विकास, विभाग मंत्रालय स्थापित करके विशेष ध्यान देने का प्रयास किया वही कानुन मंत्रालय ने ऐसे कई कानुन बनाए जिनसे महिलाओं को सतत आगे बढाया जा सके। राजनीतिक दलो ने पार्टी में अलग से महिला मोर्चा गठित करके महिला विकास एवं स्वस्थ दृष्टिकोण और व्यवहाार की छवि बनाने की कोशिश की है। इन सब के साथ ही महिला अधिकारो की रक्षा के लिए 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।

महिला सशक्तिकरण में स्वस्थ एवं स्वालम्बन दूसरी प्रमुख बांधा है। अशिक्षा, पोष्टिक आहार की अनुस्पथिता, बार–बार प्रजजन एवं अस्वच्छता, महिलाओं की सज्जनात्मक शक्ति एवं श्रम साध्यता को प्रभावित करती है। वही मानव समाज सच्ची सुख शान्ति चाहता है। किन्तु पुरूष स्वभाव में उद्दमी तथा महिलाओं के सामाजिक मर्यादा में रहने के कारण राष्ट्र एवं समाज जनसंख्या के आधे भाग की प्रगति में सारा भार आधे भाग पर ही पडता है। तो समाज की प्रगति की गति धीमी होना स्वभाविक है। परिवार समाज की प्राथमिक ईकाई है एवं स्त्री व पुरूष दोनो ही उसके महत्वपूर्ण अंग है। जिसे मजबूत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि दोनो ही परिश्रम करे और एक दूसरे का सहयोग करे तभी हम पश्चिम देशो की प्रगति की तरह आगे बढ सकेगे । इसलिए महिलाओं की क्षमता बढाने एवं स्वालम्बी बनाने हेतु विशेष प्रत्यनों की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र मे सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद भरसक प्रयत्न किये एवं निशुल्क शिक्षा, महिला शिक्षा, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण स्वयं सहायता का गठन, स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना महिला प्रशिक्षण एवं विपरण केन्द्र की स्थापना के लिए महिला साथिन की नियुक्ति विधवा पेशन, निशुल्क यातायात उधोगो की स्थापना के लिए महिलाओं को विशेष अनुदान तथा सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विरुद्ध गठित अपराधों के लिए तुरन्त एफआई आर महिला थानो की स्थापना ,नारी निकेतन एवं अपचारी बालिका गृह, आगनवाडी केन्द्रो की स्थापना सहित महिला आरक्षण सहित ऐसे कई कदम है जो सभी सरकारो ने महिला सशक्तिकरण के लिए उठाये है। इसी का परिणाम है कि आज कई क्षेत्र में महिलाएं आगे आकर समाज को नेतृत्व प्रदान कर रही है।एवं कई उधोगों का भी नेतृत्व प्रदान कर रही है।

भारतीय समाज में नारी एक गोरवपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है इसी कारण ‘‘ नत्र नायेन्तु पूज्यतें रमन्ते तत्र देवता’ ’ यानि जिस कुल में नारी समादर है वहां देवता प्रसन्न रहते है।

यही कारण है कि समाज व सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में विगत 70 वर्षो जो ठोस कदम उठाये है उसी का परिणाम है कि महिलाओं की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रही है। एवं महिला सशक्तिकरण का सपना साकार होता हुआ स्पष्ट दिख रहा है। शिक्षा के साथ – साथ भारतीय संविधान एवं लोकतान्त्रिक व्यवस्था ने भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में अति महत्वपूर्ण प्रयास किये गये है।

संविधान के द्वारा महिला सशक्तिकरण:-

हमारे संविधान ने स्त्रियों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किये है। संविधान में लैगिग भेदभाव को समाप्त किया गया तथा स्त्री पुरूष को समान अधिकार प्राप्त है। इसमें कोई दो राय नही है कि हमारे कानून में महिला को पर्याप्त अधिकार सम्पन्नता दी गई है। आवश्यकता संविधान की भावना के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाने की है आज भी कानूनी अधिकारो की जानकारी एवं आपसी जागरूकता के अभाव में आम महिलाएं विभिन्न स्तरो पर शोषण की शिकार है जो भारतीय परम्परा व संस्कृति के अनुरूप नही है।

स्वतन्त्रता के पश्चात्, संविधान की अनुच्छेद की पालना में संसद व विधायिका ने महिला के विकास एवं सम्मान की रक्षार्थ समय-समय पर कई कानून पारित किए व अनवरत पारित किये जा रहे है। संविधान ने विभिन्न माध्यमों से इसमें अहम भूमिका निभाई है जिनमें पुत्र के समान पुत्री को पिता की सम्पति में हिस्सा प्रदान करना वह शिक्षित परिवार, कन्या भूण हत्या पर प्रतिबंध उल्लेखनीय है। 26 जनवरी 1950 को संविधान में प्रावधान कर एक संवर्ध गणतन्त्र हमे मिला जिसने नारी की सुरक्षा, संरक्षणता, समानता व सम्पति के अधिकार देने के लिए निम्न अनुच्छेद सम्भावित किये गये।

अनुच्छेद 14 के अनुसार समानता का अधिकार दिया गया है कि किसी भी महिला को कानुन समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से राज्य वंचित नही करेगा।

अनुच्छेद 15 में राज्य धर्म वंश जाति, लिग (महिला या पुरूष का भेद किए बिना) जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार में दबाव नही करेगा।

अनुच्छेद 15 (3) राज्य को महिलाओं व बालको के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 16 नोकरियो व पदो पर नियुक्ति के संबंध में स्त्री व पुरूषों में कोई भेदभाव नही किया जायेगा।

अनुच्छेद 39 (घ) स्त्रियों की भी पुरूषों के समान वेतन का अधिकार प्रदान किया गया।

अनुच्छेद 42 स्त्रियों को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान।

अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार स्त्रियों को भी पुरूषों के समान 18 वर्ष की आयु के बाद प्राप्त है।

इसी के साथ हिन्दु लॉ की प्राचीन प्रावधानों में आमूलचूल परिर्वतन कर निम्न कानून बनाये -

हिन्दु विवाह अधिनियम 1955

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956

हिन्दु अवयस्क संरक्षण अधिनियम 1956

हिन्दु दतक पोषण अधिनियम 1956

इन सभी के जरिये यह प्रयास किया गया कि महिलाओं को समान अधिकार के साथ –साथ गोरवमय व गरिमामय जीवन यापन करने का सुअवसर मिले और वह भी राष्ट्र के उत्थान में भागीदार हो। पुत्र व पुत्री का भेद समाप्त होने के कारण अब महिला को अपने जिला व पति दोनो के परिवार की सम्पति की प्राप्ति का अधिकार है जो भविष्य मे एक मिसाल कायम करेगा और अबला को सबला बनाने में और शान से जीवन यापन करने में सक्षम करेगे। इसी प्रकार कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा प्रदान करने वालो अनुच्छेद 16, में यह प्रावधान किया गया है। कि किसी भी नियोजन व पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, लिग व जाति के आधार पर विभेद नही किया जायेगा। उल्लेखित किया गया है कि लोक नियोजक में भी पुरूष व स्त्री को समान अवसर प्रदान किये गये है। इसके तहत मुख्य रूप से भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 खा अधिनियम 1952 मातृत्व लाभा अधिनियम 1961 कर्मचारी बीमा राज्य अधिनियम 1948 इत्यादि प्रमुख है जिसमें महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

संविधान के 73 वे संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान एक नया अनुच्छेद 243 स्थापित कर महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 113 भाग स्थान आरक्षित रखे जाने की व्यवस्था की गई है तथा अनुसुचित जाति अनुसुचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी सरपंच, प्रधान, प्रमुख पदो के लिए महिलाओं को स्थान आरक्षित किये जाने का निर्देश दिया गया है। स्त्रियों की रक्षा के संबंध में 1976 में 42 वे संशोधन के जरिये अनुच्छेद 51 (क) जोडकर उनके सम्मान के विरूद्व विधमान कुरीतियों व प्रथाओं का त्याग अनिवार्य किया गया है जिसमें सती प्रथा प्रमुख रूप से है। कामकाजी महिलाओं के साथ योन उत्पीडन की रोकथाम के लिए भारतीय दण्ड सहित धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा में परिवर्तन 304 (बी) के तहत, विवाह के 7 वर्ष के भीतर दहेज के कारण स्त्री की मृत्यु 306 में आत्महत्या सहित धारा 312, 313, 354, 366, 366 (क) 372, 376 क,ख, ग, घ, 493, 494, 498 (ए) 509 के तहत नारी उत्पीडन रोकने के संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान बनाये गये है।

इसी परिपेक्ष्य में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियमय 2005 किशोर न्याय अधिनियम 2000 सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियिम 1990 इत्यादि प्रमुख कानून को महिला सशक्तिकरण की दिशा में संविधान द्वारा अहम भूमिका का ही परिणाम है।

निष्कर्ष

अंत में यही कहा जा सकता है कि नारी को स्वयं को उठाना है जागृत होना है स्वयं की शक्तियों को पहचानना है। सशक्तिकरण मात्र नारा नही है यह चुनौती है जिसे स्वीकार कर अवसर में बदलना चाहिए। ऐसा उसे अपने स्वभाविक व नैसगिक गुणों को बनाये रखते हुए करना होगा।

जैसा कि संविधान ने सुरक्षा प्रदान कर सशक्त बनाया है परन्तु उन्हे अपने कर्तव्यों का भी समुचित पालन करना चाहिए।

यदि महिलाएं ऐसा कर सकी तो 21 वी शताब्दी के संधिकाल में यह संभव हो पायेगा कि महिलाओ को अपनी महत्ता का परिचय और बढ चढ कर देना होगा करूणा, दया, सेवा समपर्ण निष्ठा, बुद्वि के माध्यम से नारी 21 वी सदी में सरम्य सुसंस्कृत एवं उज्जवल भविष्य के रूप मे बढेगी।

सन्दर्भ :- रांका पब्लिक चेरीटेबल ट्रस्ट पृष्ठ संख्या 1, 2, 13,15,20,31